

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी: राजवीर सिंह चौधरी, अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 01/2017, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. श्री अर्जुन उर्फ कल्लू पुत्र श्री झब्बू सिंह गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पांचोली थाना मानपुर जिला दौसा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति : लोक अभियोजक – पैरोकार सरकार ।
: श्री महावीर डोई – अधिवक्ता गैर सायल ।

—: निर्णय :-

दिनांक:- 25.02.2019

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा की ओर से मार्फत पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा कि गैर सायल श्री अर्जुन उर्फ कल्लू पुत्र श्री झब्बू सिंह गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पांचोली थाना मानपुर जिला दौसा का रहने वाला है जो जुआ-सट्टा करने एवं कराने के दुष्प्रेरण में लगा हुआ है जिससे इलाका में व्यक्तियों की सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है। इसके विरुद्ध थाना मानपुर में निम्नलिखित मुकदमें दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है तथा अदालत से सजा (जुर्माना) हुआ है—

1. मु.न. 211/2016 13 आरपीजीओ
2. मु.न. 23/2017 13 आरपीजीओ

उपरोक्त प्रकरणों का विवरण देते हुए गैरसायल को धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत दौसा जिला की सीमा से बाहर निष्कासित करने की प्रार्थना इस्तगासा दर्ज कर गैर सायल को नोटिस जारी किये गये। अधिवक्ता गैर सायल एवं लोक अभियोजक की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल के विरुद्ध दर्ज अभियोगों के संबंध में थानाधिकारी थाना मानपुर की रिपोर्ट में बताया कि गैरसायल के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पेश इस्तगासा में गैर सायल द्वारा दो बार



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

